# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

राजेन्द्र सिंह पिता स्वरूप सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा

बनाम

जयसिंह पिता कानसिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए मुकदमा नंबर 431/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 28/05/2024 | प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम खाखुन्दा प.ह. राजगढ आराजी सं. 103/1, 104/2, 114, 122, 123, 124, 125 कुल किता 07 रकबा 2.7357 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृशि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।<br>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पश्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम खाखुन्दा प.ह. राजगढ आराजी सं. 103/1, 104/2, 114, 122, 123, 124, 125 कुल किता 07 रकबा 2.7357 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 400रू राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे**। पालना हेतु तहसीदार काछोला को लिखा जावें। **तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है**। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।<br>आदेश आज दिनांक 28/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**जहाजपुर जिला शाहपुरा** | |

Scanned with CamScanner

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक– 28/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/431/2024

निमित्त–

तहसीलदार काछोला

विषयः– प्र.स. 431/2024 अनवान राजेन्द्र सिंह पिता स्वरूप सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा बनाम जयसिंह पिता कानसिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा, हेम कंवर पत्नी रतनसिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा, प्रभु दरोगा पिता गोपी दरोगा निवासी खाखुन्दा, मदन पिता गोपी दरोगा निवासी खाखुन्दा, गोरधन पिता सांवत राजपुत निवासी खाखुन्दा, रतनसिंह पिता सांवत सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा, कल्ला भील पिता प्रताप भील निवासी खाखुन्दा, दुर्गा भील पिता छोटू भील निवासी खाखुन्दा, शंकर भील पिता प्रताप भील निवासी खाखुन्दा, मांगी भील पिता प्रताप भील निवासी खाखुन्दा, भंवर सिंह पिता रघुवीर राजपुत निवासी खाखुन्दा, सांवत सिंह पिता रघुवीर सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा, लक्ष्मण सिंह पिता मांगी सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा, धनसिंह पिता बाधसिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा, किशन सिंह पिता मोहन सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विशयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम खाखुन्दा प.ह. राजगढ आराजी सं. 103/1, 104/2, 114, 122, 123, 124, 125 कुल किता 07 रकबा 2.7357 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रूपये राजकोश में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner